क्या रमज़ान के दिन में भूलकर खाने पीने वाले पर इनकार किया जायेगा ?

﴿ حكم الإنكار على من تعاطى شيئًا من المفطرات ناسيًا في نهار رمضان ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿حكم الإنكار على من تعاطى شيئًا من المفطرات ناسيًا في نهار رمضان﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

क्या रमज़ान के दिन में भूलकर खाने पीने वाले पर इनकार किया जायेगा ?

प्रश्नः

कुछ लोग कहते हैं : यदि आप रमज़ान के दिन में किसी मुसलमान को खाते या पीते देखें तो आप पर उसको सूचित करना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है। तो क्या यह बात सही है?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

जो व्यक्ति किसी मुसलमान को रमज़ान के दिन में खाते हुए, या पीते हुए, या रोज़ा तोड़ने वाली किसी भी चीज़ का सेवन करते हुए देखे, तो उस पर उस आदमी को टोकना अनिवार्य है, क्योंकि रमज़ान के दिन में इसका प्रदर्शन करना एक मुनकर काम (बुराई) है, भले ही वह व्यक्ति वास्तव में माजूर (क्षम्य) हो। ताकि लोग भूल का दावा करके (बहाना बना कर) रोज़े के दिन में अल्लाह तआला की हराम की हुई रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का खुला प्रदर्शन करने पर निडर न हो जायें। यदि इसका प्रदर्शन करने वाला अपने भूल के दावा में सच्चा है तो उस पर क़ज़ा नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

« من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.»

[متفق على صحته]

''जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल कर खा लिया या पी लिया तो वह अपना रोज़ा पूरा करे ; क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है।'' (सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम)

इसी तरह यात्री के लिए भी यह उचित नहीं है कि वह निवासी लोगों के बीच जो उसकी स्थिति को नहीं जानते हैं, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का प्रदर्शन करे। बल्कि उसे चाहिए कि उसे गुप्त रखे ताकि उस पर अल्लाह तआला की हराम की हुई चीज़ के सेवन करने का आरोप न लगाया जाये, और ताकि उसके अलावा दूसरे लोग भी ऐसा करने का साहस न करें। इसी प्रकार काफिरों को भी मुसलमानों के बीच खुले आम खाने पीने इत्यादि से रोका जायेगा ताकि इस विषय में लापरवाही का द्वार बंद हो जाये, और इसलिए भी कि उनके लिए मुसलमानों के बीच अपने भ्रष्ट

(असत्य) धर्म का प्रदर्शन करना वर्जित और निषिद्ध है। और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है।

समाहतुश्शैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूअ फतावा व मक़ालात मुतनौविआ" ९/१०६.